

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1985

का.अ. 5743—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परामर्श द्वारा प्रवर्तक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 की अनुसूची में, केन्द्रीय सिविल सेवा समूह ग (रक्षा सेवाओं में सिविलियनों के सिवाय) से संबंधित भाग 3 में, क्रम सं. 1 और 1क के सामने स्तंभ 4, 5 और 6 के नीचे की प्रविष्टियों में '4(ज) केन्द्रीय जल और बिजली आयोग' कोष्ठकों, और शब्दों और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

4	5	6
"(स) मूद्रण निदेशालय	संयुक्त निदेशक (i) से (iv) (प्रशासन)	सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय"

[सं. 11012/8/85-स्पा. (क.)]

ए. जयरामन, निदेशक (स्पा.)

New Delhi, the 11th December, 1985

S.O. 5743.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1965, namely :—

1. (i) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Amendment Rules, 1985.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1965, in Part III relating to the Central Civil Services Group C (Except for Civilians in Defence Services), against Serial Numbers 1 and 1A in the entries under columns 4, 5 and 6 after the brackets, letter and words "(h) Central Water and Power Commission" and the entries relating thereto, the following shall be respectively inserted, namely :—

4	5	6
"(i) Direct rate of Printing	Joint Director (i) to (iv) Administration	Secretary in the M/c Works & Housing"

[No. 11012/8/85-Ent.(A)]

A. JAYARAMAN, Director